

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-18/2023- 2718

व०प०, राँची, दिनांक- 19/07/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002।

विषय :- Diversion of 12.44 ha of Forest land in favour of Expansion & development of Godda College हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-588 दिनांक-05.06.2023 एवं पत्रांक-677 दिनांक-04.07.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

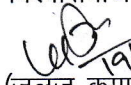
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रस्तावित 12.44 हे० वनभूमि NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (3) विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित मौजा-सीरीआ में चिन्हित 12.44 हे० गैर वनभूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (4) विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध चिन्हित 12.44 हे० गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (5) विषयक प्रस्ताव के पार्ट-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्त अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (6) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-18/2023- 2718

व०प०, राँची, दिनांक- 19/07/2023

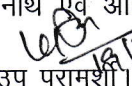
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-18/2023- 2718

व०प०, राँची, दिनांक- 19/07/2023

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रधानाचार्य, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा, झारखण्ड-814133 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

01C

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 12.44 ha of Forest Land for Expansion & Development of Godda College under Godda Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 12.44 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-²⁷¹⁸..... dated-^{10/07/2023}.....

19.7.2023
Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi,

Additional Secretary

Forest Environment And

Climate Change Department

Jharkhand Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

9

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 677

दिनांक:- 04/7/2023

सेवा में, झारखण्ड, राँची

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

Diversion of 12.44 ha of Forest land in favour of Expansion & development of
Godda College हेतु वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय पत्रांक 2431 दिनांक 27.06.2023

महाशय,

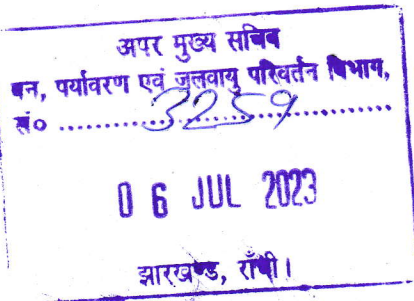
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना
प्रस्ताव हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक
794 दिनांक 27.06.2023 द्वारा उनका मंतव्य उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक
588 दिनांक 05.06.2023 के क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

4.7.23





कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

Email: pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744



8

143

पत्रांक:— 880 (WL)P/ 2022-23-794

दिनांक:— 27/06/2023

सेवा में,

कैम्पूरीन निवासी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:— Diversion of 12.44 ha. of Forest Land in favour of Expansion & development of
Godda College हेतु वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग:— आपका ज्ञापांक 588 दिनांक 05.06.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि इस कार्यालय का पत्रांक
730 दिनांक 14.06.2023 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका से विषयक प्रस्ताव पर
वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता एवं सार्थकता के सम्बन्ध में स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी थी।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका का कार्यालय पत्रांक 1043 दिनांक
26.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार प्रस्तावित स्थल गोड्डा शहर के निकट
है और बगल में पूर्व से कॉलेज चल रहा है एवं वहाँ वन्यप्राणी का आवागमन नहीं है।

अतः विषयक प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड

27/6/23

27/6/23

